

कार्यालय: निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान,
डब्ल्यू-6, गौरव पथ, रेजिडेन्सी रोड, जोधपुर-342032

:: सामान्य निर्देश सत्र 2026-27 ::

1. राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र(NOC) प्राप्त करने हेतु संशोधित NOC पॉलिसी के अनुसार आवेदन करना अनिवार्य हैं।
2. प्रबन्ध समिति/संस्था में प्रधान सहित 15 से 21 सदस्य होने चाहिए। प्रबन्ध समिति में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक हो।
3. प्रबन्ध समिति के प्रत्येक तीन वर्ष के बाद नवीन चुनाव होंगे।
4. आपत्तिजनक/ प्रतिबन्धित शब्द महाविद्यालय के नाम में न हों।
5. महाविद्यालय का नामअखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मानदण्डानुसार ही होना चाहिए।
6. नया महिला महाविद्यालय खोलने की स्थिति में महाविद्यालय के नाम में "महिला" शब्द आवश्यक रूप से जोड़ें।
7. आवेदक संस्था या समिति/ट्रस्ट द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है, शपथ पत्र द्वारा सत्यापित हो।
8. AICTE के मानदण्डानुसार संस्था/समिति/ट्रस्ट की स्वयं के नाम की भूमि हो। भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हो (आदेश/ रसीद) मय शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।
9. AICTE के मानदण्डानुसार संस्था/समिति/ट्रस्ट स्वयं के नाम की भूमि जो संस्थान संचालन हेतु प्रस्तावित की गई है, उसी भूमि पर ही संस्थान भवन निर्मित हो।
10. महाविद्यालय के भवन के कक्ष AICTE के मानदण्डानुसार हो।
11. महाविद्यालय में AICTE के मानदण्डानुसार विद्यार्थियों हेतु निर्धारित सुविधायें होना आवश्यक है।
12. महाविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ AICTE के मानदण्डानुसार योग्यताधारी हों।
13. महाविद्यालय का आवेदन पत्र अपूर्ण होने, AICTE के मानदण्डानुसार दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न नहीं होने, निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन-पत्र प्राप्त होने अथवा निरीक्षणोपरान्त समय पर कमियों की पूर्ति नहीं किये जाने पर आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा करवाया गया आवेदन शुल्क उपरोक्त परिस्थिति में नहीं लौटाया जायेगा।
14. NOC हेतु आवेदन करने से पूर्व विस्तृत जानकारी AICTE की नवीनतम Approval Process Handbook (APH) 2024-2027 एवं राज्य सरकार की NOC Policy का गहन अध्ययन कर लें।
15. आवेदन शुल्क रूपयों में उसी श्रेणी हेतु AICTE की नवीनतम APH (2024-2027) में वर्णित निर्धारित शुल्क का बीस प्रतिशत होगा।
16. निर्धारित शुल्क, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक डी.डी./बैंकर्स चेक **"सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा, निदेशालय, जोधपुर"** के नाम जो जोधपुर में देय हो, देना होगा।
17. राज्य सरकार से NOC प्राप्त करने हेतु Rajnoc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर Department of Technical Education टैब के अन्तर्गत Online आवेदन करना होगा। आवेदन-पत्र का ऑनलाइन प्रिन्ट निकालकर संबंधित समस्त आवश्यक सत्यापित दस्तावेज यथा: शपथ-पत्र, सोसायटी का रिजोल्यूशन, अन्य फोरमेट्स की प्रतियाँ, निर्धारित शुल्क का मूल डी.डी./बीसी, इत्यादि संलग्न करते हुए व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा इस कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
18. Rajnoc पोर्टल पर आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.01.2026 निर्धारित है।
19. निदेशालय में मूल हार्डकॉपी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 05.02.2026 निर्धारित है।